25.05.18 वकील अपी. उपस्थित नहीं है न ही स्वयं अपी. उपस्थित है। दोनों को बार-बार आवाज दिलाई गई। अपी. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अपी. पूर्व पेशी पर भी अनुपस्थित रहे है, उपस्थित होने बाबत एक अवसर दिया जा चुका है। अतः अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर